रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240242
CG-DL-E-14112022-240242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
No. 727] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

**सा.का.नि. 815(अ).**—केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकृति या परमिट) नियमावली, 2021 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप गए कार्यों को छोड़कर, निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसको इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप नियम**

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -** (1) इन नियमों को अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं -** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) अधिनियम से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) प्रपत्र से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न एक प्रपत्र;

(ग) परमिट से अभिप्रेत है परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी एक परमिट, जो नियम 5 के तहत भुगतान किए गए परमिट शुल्क के आधार पर एक पर्यटक वाहन ऑपरेटर / मालिक को भारत के पूरे क्षेत्र में पर्यटक वाहन चलाने के लिए सक्षम बनाता है;

(घ) परिवहन प्राधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) के तहत गठित परिवहन प्राधिकरण।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो यहां प्रवृत्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

**3. परमिट के लिए आवेदन -** (1) परमिट, नियम 5 में उल्लिखित श्रेणी के लिए केवल पर्यटक वाहन ऑपरेटर के पर्यटक वाहन को ही प्रदान किया जाएगा।

(2) पर्यटन वाहन के लिए परमिट प्रदान करने या परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र 1 में परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के तहत किए गए आवेदन के साथ नियम 5 में निर्दिष्ट शुल्क दिया जाएगा।

(4) आवेदन विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।

(5) परिवहन प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर परमिट जारी करेगा।

**4. परमिट प्रदान करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया -** (1) नियम 3 के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन में आवश्यक वैध दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र हैं और वाहन कर भरा गया है या नहीं, संबंधित परिवहन प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

(2) यदि नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत किया गया आवेदन अधूरा है और नियम 5 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ नहीं है, तो परिवहन प्राधिकरण लिखित में दिए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

बशर्ते, किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व आवेदक को आवेदन की गलती को सुधारने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।

(3) यदि आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो परमिट को प्रदान किया गया और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से तैयार किया हुआ माना जाएगा।

(4) परमिट, प्रपत्र 2 में प्रदान किया जाएगा और यह तीन महीने या इसके बाद इसका गुणक जो एक बार में पांच साल से अधिक नहीं, की अवधि के लिए वैध होगा।

(5) वाहन के प्रथम पंजीकरण की तारीख से बारह वर्ष पूरे होने के बाद पर्यटक वाहन को परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में तालिका के अनुसार नियम 5 के तहत पंजीकृत विभिन्न श्रेणियों के डीजल वाहनों के मामले में, इसके प्रथम पंजीकरण की तारीख से दस साल पूरे होने के बाद परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।

**5. परमिट जारी करने के लिए शुल्क -** (1) परमिट प्रदान करने के लिए नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन करना होगा: -

**तालिका**

| **क्र.सं.** | **चालक को छोड़कर यात्री क्षमता के अनुसार पर्यटक वाहन की श्रेणी** | **परमिट शुल्क (रु. में) (वार्षिक)** | **परमिट शुल्क (रु. में) (त्रैमासिक)** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | पांच से कम | 20,000 | 6,000 |
| 2. | पांच या अधिक, लेकिन दस के कम | 30,000 | 9,000 |
| 3. | दस या अधिक, लेकिन तेईस के कम | 80,000 | 24,000 |
| 4. | तेईस या अधिक | 3,00,000 | 1,00,000 |

(2) बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहन और मेथनॉल या एथेनॉल ईंधन से चलने वाले पर्यटक वाहन के मामले में परमिट, बगैर परमिट शुल्क के ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

**6. समेकित परमिट शुल्क का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण।**

नियम 5 के तहत एकत्र किए गए परमिट शुल्क को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार वितरित किया जाएगा:

एसआरएन = एसएसएन x (देश के लिए मासिक वास्तविक राजस्व)

$\text{एसआर}_{\text{एन}}$ = राज्य के लिए मासिक वास्तविक राज्य राजस्व

$\text{एसएस}_{\text{एन}}$ = राज्य का राज्य हिस्सा

= पूववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य का कुल

पूववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कुल राजस्व

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति-कुल राजस्व पद से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अंतर-राज्यीय परमिट शुल्क के उद्ग्रहण से संग्रहित राजस्व अभिप्रेत है।

**7. परमिट का दायरा और वैधता -** (1) परमिट, पूरे भारत में मान्य होगा।

(2) परमिट का उपयोग यात्रियों के व्यक्तिगत सामान के साथ व्यक्तिगत रूप से या समूह में यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाएगा।

(3) पर्यटक वाहन ऑपरेटर को तब तक व्यक्तिगत रूप से या समूह में यात्रियों के परिवहन के लिए वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में या वास्तविक प्ररूप में वैध परमिट न हो।

**8. परमिट का हस्तानांतरण -** परमिट, (1) उप-नियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अधिकार क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं होगा।

(2) इन नियमों के तहत पर्यटक वाहन के स्वामित्व प्रदान किया गया परमिट मालिक की मृत्यु के कारण हस्तानांतरित हो सकेगा, जहां भावी मालिक या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसी मृत्यु से तीन महीने के भीतर अधिकार क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व में आवश्यक परिवर्तन करवाने के बाद परमिट का उपयोग करेगा:

बशर्ते कि परिवहन प्राधिकरण तीन महीने की समाप्ति के बाद भी एक आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि वह इस कारण से संतुष्ट है कि आवेदक को निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करने से रोका गया था।

**9. वाहन का प्रतिस्थापन -** परमिट धारक, अधिकार क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण की अनुमति से परमिट के अंतर्गत आने वाले किसी भी पर्यटक वाहन को उसी प्रकृति के किसी अन्य पर्यटक वाहन से प्रतिस्थापित कर सकता है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'उसी प्रकृति के पर्यटक वाहन' से ऐसा वाहन अभिप्रेत है, जो नियम 5 की तालिका में उल्लिखित उसी श्रेणी के हैं, जिसके लिए परमिट दिया गया है और शुल्क का भुगतान किया गया है और ऐसा प्रतिस्थापन पर्यटक वाहन के किसी भी अन्य मेक या मॉडल का हो सकता है ।

**10. विशेषता सूचक चिह्न -** इन नियमों के तहत जिन पर्यटक वाहनों को परमिट दिया गया है, वे सुस्पष्ट रूप से वाहन के पीछे बाईं ओर नीले रंग की पृष्ठभूमि में सफेद अक्षरों में परमिट की वैधता के साथ 'अखिल भारतीय पर्यटक परमिट' शब्द लिखेंगे।

**11. पर्यटकों की सूची -** (1) परमिट के तहत चलने वाली मोटर कैब के अलावा एक पर्यटक वाहन में हर समय इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या वास्तविक यात्रियों की एक सूची होगी, जिसमें प्रत्येक यात्री की यात्रा का आरंभ और गंतव्य स्थान का विवरण होगा और पर्यटक वाहन का ऑपरेटर कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए यात्रा विवरण सहित यात्रियों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखेगा और अधिकार क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण या किसी अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर सूची उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट यात्री का कोई भी रिकॉर्ड किसी अन्य व्यक्ति या संगठन या कंपनी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

**12. परमिट को रद्द और निलंबित करना -** परिवहन प्राधिकरण जिसने परमिट प्रदान किया है, परमिट को रद्द कर सकता है, यदि परमिट धारक, -

(1) इन नियमों या अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी पर्यटक वाहन का उपयोग करता है या करवाता है या अनुदत्त करता है;

(2) परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन का स्वामित्व समाप्त हो गया है;

(3) धोखाधड़ी या गलत बयानी द्वारा परमिट प्राप्त किया, और

(4) किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त की है।

**13. अपील –** अधिकार क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति,

(1) नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत परमिट जारी करने से इनकार करने पर; या

(2) परमिट का निलंबन या रद्द करने या उसकी स्थिति में किसी प्रकार की तब्दीली; या

(3) इन नियमों के नियम 8 के तहत परमिट को हस्तानांतरित करने या नियम 9 के तहत वाहन के प्रतिस्थापन से इनकार करने का आदेश; या

(4) परमिट का नवीनीकरण करने से इनकार करने का आदेश,

ऐसा व्यक्ति, उक्त आदेश प्राप्त करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य परिवहन अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद उस पर निर्णय लेगा।

**14. छूट -** (1) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 82 से 85क में विनिर्दिष्ट शर्तें इन नियमों के तहत प्रदान किए गए परमिट पर लागू नहीं होंगी।

(2) मोटर यान (अखिल भारतीय पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों के लिए परमिट) नियमावली, 1993 या अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकृति या परमिट) नियमावली, 2021 के तहत जारी किया गया परमिट उनकी वैधता अवधि के दौरान लागू रहेगा जैसे कि वे अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियमावली, 2022 के तहत जारी किए गए थे ।

**प्रपत्र 1**

[नियम 3(2) देखें]

**अखिल भारतीय पर्यटक वाहन परमिट प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र**

सेवा में,

परिवहन प्राधिकरण

………………………………..

| | | |
|---|---|---|
| आवेदक का नाम | | |
| मोबाइल नं. | | |
| ई-मेल | | |
| वाहन का विवरण, जिसके लिए परमिट की आवश्यकता है: | | |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | वाहन का मेक और मॉडल | प्रथम पंजीकरण की तारीख | तक भुगतान किया गया सड़क कर | बैठने की क्षमता | स्वामित्व का प्रकार (स्वामित्व/लीज पर) | वाहन की पिछला परमिट संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

**नोट: -** कॉलम 3, 4, 5 और 6 का विवरण वाहन पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा।

आवेदन के समय फिटनेस, बीमा और पीयूसी के प्रमाण पत्र की वैधता वाहन पोर्टल के माध्यम से मान्य होगी।

2. मैंने परमिट शुल्क के लिए निम्नलिखित भुगतान किए हैं-

| क्र.सं. | वाहन पंजीकरण सं. | महीनों की संख्या, जिनके लिए परमिट लागू | परमिट शुल्क | भुगतान का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

**प्रपत्र 2**

*[नियम 4(4)देखें]*

**(वाहन संख्या) के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट**

**यह अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पूरे भारत के लिए मान्य है**

1. व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम (उपनाम, यदि कोई हो, से शुरू करें)

2. पूरा पता:

3. परमिट संख्या:

| क्र.सं. | वाहन का मेक | पंजीकरण सं. | प्रथम पंजीकरण की तारीख | बैठने की क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

4. परमिट शुल्क की भुगतान की गई राशि .......... रसीद संख्या ............... शुल्क भुगतान की तारीख...........

5. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की वैधता की अवधि ...... -से.........तक।

परिवहन प्राधिकारी के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

[फा. सं. आरटी-16017/2/2018-टी]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

**टिप्पण.-** मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........,दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा. का. नि._____ (अ) दिनांक ______ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

**G.S.R. 815(E).—**The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of Section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in supersession of the All India Tourist Vehicles (Authorisation or Permit) Rules, 2021,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

Objections and suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi- 110001 or email to comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

**Draft Rules**

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions. —** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) Act means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) Form means a Form appended to these rules;

(c) Permit means a permit issued by the Transport Authority to enable a tourist vehicle operator/ owner to ply tourist vehicle throughout the territory of India on strength of permit fee paid under rule 5;

(d) Transport Authority means the Transport Authority constituted under sub-section (1) of section 68 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Application for permit.** — (1) The permit shall be granted only to a tourist vehicle of tourist vehicle operator for category as mentioned in rule 5.

(2) An application for grant of permit or renewal of permit for a tourist vehicle shall be made to the Transport Authority in Form 1.

(3) The application made under sub-rule (1) shall be accompanied by the fee as specified in rule 5.

(4) The application along with the specified fee shall be made in electronic form on the portal.

(5) The Transport Authority shall issue the permit, within a period of seven days from the date of receipt of application.

**4. Procedure for grant of permit and renewal thereof**. — (1) On receipt of an application under rule 3, to ensure that the vehicle has necessary valid documents such as certificate of insurance, certificate of fitness, Pollution under control certificate and vehicle is not tax deficient, the concerned Transport Authority may inspect the documents electronically.

(2) If the application made under sub-rule (1) of rule 3 is incomplete and not accompanied by fee specified in rule 5, the Transport Authority may reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that before rejecting an application, an opportunity shall be given to the applicant to cure the defects in the application.

(3) If no decision is taken by the Transport Authority within seven days of receipt of the application, the permit, shall be deemed to have been granted and generated through electronic system.

(4) The permit shall be granted in Form 2 and shall be valid for a period of three months or its multiples thereof not exceeding five years at a time.

(5) The permit shall not be granted to a tourist vehicle after the completion of twelve years from the date of first registration of the vehicle:

Provided that, in case of a diesel vehicles of various categories as per table under rule 5 registered in the National Capital Territory (NCT) of Delhi, permit shall not be granted after completion of ten years from the date of its first registration.

**5. Fee for issuance of permit.** — (1) An application for the grant of permit, shall be accompanied by the fee as specified in the table below: –

**TABLE**

| **Serial Number** | **Category of tourist vehicle as per passenger capacity excluding driver** | **Permit Fee (in rupees) (Annually)** | **Permit Fee (in rupees) (Quarterly)** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Less than five | 20,000 | 6,000 |
| 2. | Five or more but less than ten | 30,000 | 9,000 |
| 3. | Ten or more but less than twenty three | 80,000 | 24,000 |
| 4. | Twenty three or more | 3,00,000 | 1,00,000 |

(2) in case of battery operated tourist vehicle and tourist vehicle driven on methanol or ethanol fuel, the permit shall be issued at zero permit fee online.

**6. Distribution of consolidated permit fee among States and Union territories.**

The permit fee collected under rule 5 shall be distributed among the States and Union territories as per the formula given below:

SRn = SSn x (Actual revenue for the month for the country)

SRn = Actual State Revenue for the month for nth State

SSn = State share of nth State

= Total revenue for each State for preceding three financial years

Total revenue of all the States/ Union territories for preceding three

financial years.

*Explanation.* - For the purposes of this sub-rule, the expression ―Total revenue means the revenue collected by the State or Union territory from levy of Inter-state permit charges.

**7. Scope and Validity of permit.** — (1) The permit, shall be valid throughout India.

(2) The permit shall be used for the transport of passengers individually or in a group, along with their personal luggage.

(3) Tourist vehicle operator shall not use the vehicle for the transport of passengers individually or in a group, unless he has a valid permit, either in electronic form or in physical form.

**8. Transfer of permit.** — (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), permit, shall not be transferable from one person to another except with the permission of the jurisdictional Transport Authority.

(2) Where the ownership of the tourist vehicle granted permit under these rules, is transferred due to the death of the owner, the prospective owner or successor, as the case may be, shall use the permit, after getting necessary changes of ownership by the jurisdictional Transport Authority within three months from such death:

Provided that the Transport Authority may entertain an application after the expiry of three month, if it is satisfied on reasons that the applicant was prevented from making an application within the specified time.

**9. Replacement of vehicle.** — The holder of permit, may, with the permission of the jurisdictional Transport Authority, replace any tourist vehicle covered by the permit, with any other tourist vehicle of the same nature.

*Explanation.* — For the purpose of this rule, the expression ―tourist vehicle of same nature means vehicle of the same category as mentioned in Table of the rule 5 for which the permit has been granted and fee has been paid and such replacement tourist vehicle may be of any other make or model.

**10. Distinguishing mark.** — The tourist vehicles which have been granted permit, under these rules shall prominently display the words ‗All India Tourist Permit 'on rear left side of the vehicle in white letters in blue background along with the validity of the permit.

**11. List of tourists.** — (1) A tourist vehicle other than a motor cab plying under the permit, shall at all times carry a list of passengers in electronic form or in physical form, which shall contain the details of origin and the destination of each passenger and tourist vehicle operator shall maintain record electronically, of the passengers, including journey details, for a minimum period of one year and these records shall be made available to the Jurisdictional Transport Authority or any other law enforcement officer on demand.

(2) The list shall be produced on demand before the officers authorised to demand production of documents by or under the Act or the rules made there under.

(3) No record of the passenger referred to in sub-rule (1) shall be shared with any other person or organisation or company.

**12. Cancellation and suspension of permit.** — The Transport Authority which granted permit, may cancel the permit, if the holder of the permit, —

(1) uses or causes or allows a tourist vehicle to be used in contravention to the provisions of these rules or the Act, as the case may be;

(2) ceases to own the vehicle covered by permit;

(3) obtained the permit by fraud or misrepresentation, and

(4) acquires the citizenship of any foreign country.

**13. Appeals.** —Any person aggrieved by the order of the jurisdictional Transport Authority against the,

(1) refusal to issue permit, under sub-rule (2) of rule 4; or

(2) suspension or cancellation of permit, or any variation of the condition thereof; or

(3) order of refusal to transfer the permit under rule 8 or replacement of vehicle under rule 9 of these rules; or

(4) order of refusal to renew the permit,

may within a period of thirty days from the date on which the said order is received by such person, appeal to the State Transport Appellate Tribunal, which shall give a decision thereon after giving such person an opportunity of being heard.

**14. Exemption.** — (1) The conditions prescribed in rules 82 to 85A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall not apply to the permits granted under these rules.

(2) The permit issued under the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 or All India Tourist Vehicles (Authorisation or Permit) Rules, 2021 shall continue to be in force during their validity period as if they were issued under the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2022.

**Form 1**

[See rule 3(2)]

**Application Form for Grant/Renewal of All India Permit for Tourist Vehicle**

To

The Transport Authority

……………………………..

| | |
|---|---|
| Name of the applicant | |
| Mobile number | |
| Email address | |

Particulars of the vehicle for which permit is required:

| Sr. No. | Registration No. | Make and Model of the vehicle | Date of First Registration | Road Tax Paid upto | Seating capacity | Ownership Type (Owned/Leased) | Last Permit Number held by the vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

**Note: -** details in column 3, 4, 5 and 6 shall be auto fetched from VAHAN portal.

At time of application validity of certificate of fitness, insurance and PUC shall be validated through VAHAN portal.

2**.** I have made following payments towards Permit fee-

| Sl. No. | Vehicle registration number | No of months for which permit applied | Permit Fee | Payment Details |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |

I certify that the above information is true and correct.

e-signature/ digital signature or thumb impression of

applicant or of the authorised signatory

**Form 2**

*[Refer rule 4(4)]*

**All India Tourist Permit for (Vehicle Number)**

**This All India Tourist Permit is valid for whole of India**

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)

2. Complete Address:

3. Permit No.:

| Sl. No. | Make of the Vehicle | Registration number | Date of First Registration | Seating Capacity |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

4. Amount of permit fee paid …………. receipt number…………date of fee payment………..

5. Period of validity of the All India Tourist Permit. —From………….…to……….….

e-signature / digital signature of the Transport Authority

[F. No. RT-16017/2/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R…………,dated the…………and last amended vide notification number …..…..(E), dated the …......

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.14 16:29:34 +05'30'